संख्या-18/2015/ए-1-1104/दस-2015-10(48)/2013 टी0सी0-1

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक - 18 दिसम्बर, 2015**

विषय :- वेतन सम्बन्धी आयकर की कटौती-आयकर अधिनियम-1961 की धारा-192 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के परिपत्र के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् परिपत्र शासनादेश संख्या-17/2015/ए-1-1076/दस-2015-10(48)/2013 टी0सी0-1, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 **http://shasanadesh.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त परिपत्र को आवश्यकतानुसार डाउनलोड करना चाहें।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

संख्या-18/2015/ए-1-1104(1)/दस-2015-10(48)/2013 टी0सी0-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3- सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
4- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कि वे कृपया इन अनुदेशों से राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को अवगत कराने का कष्ट करें।
5- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in